कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'ख' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 E-Mail-eicpwduk @ nic.in Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांकः— 142 /07व्यख—सा0/2020 दिनांक 10/03/2021

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के पत्र संख्या–683 / 02ब्यग–अधि0–।।।/2005 दिनांक–29.04.2006 के द्वारा मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में सर्कुलर जारी करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति के 06 माह के भीतर कम्प्यूटर का कार्य करने की वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है,तदोपरान्त ही अगली वेतन वृद्धि देय होगी ।

सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह भी निर्देशित किया गया है कि मृतक आश्रित के रूप में जिन अभ्यर्थियो को कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर नियुक्ति दी जांनी है,नियुक्ति हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा,उससे पूर्व उस अभ्यर्थी का शासनादेश संख्या– 8004/23–4–90–46 एनपी0 /99 दिनांक 18.12.1999 में अंकित शासनादेश संख्या 6/12/73 (टी0सी0)/(1) का–2/99 दिनांक 22.10.1999 के अनुसार विहित टंकण अर्हता परीक्षा ली जाय,परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाय। उक्त शासनादेशों में यह प्राविधानित है कि **यदि आवेदित पद के लिए टंकण एक निहित अर्हता है तो अपेक्षित स्तर की प्रवीणता उसमें सेवायोजन के लिए अनिवार्य है। इसमें छूट नियमानुसार अनुमन्य नही है।** इससे स्पष्ट है कि मृतक आश्रितों को नियुक्ति के समय टंकण परीक्षा में कहीं भी छूट नही दी गई है ।

वर्तमान परिपेक्ष्य में अब मैनुअल टाईपिंग के स्थान पर केवल कम्प्यूटर का ही संचालन किया जा रहा है,तथा मैनुअल टाईपिंग पूर्ण रूप से बन्द हो चुकी है, जिससे इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त सर्कुलर दिनांक 29.04.2006 अब निष्प्रभावी प्रतीत होता है तथा वर्तमान समय में इसका कोई औचित्य नही रह जाता है। वर्तमान में कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर हेतु कम्प्यूटर पर टाईपिंग की वांछित निर्धारित गति के साथ–साथ कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना भी आवश्यक है ।

अतः इस कार्यालय के पत्र संख्या–683/02ब्यग–अधि0–।।।/2005 दिनांक–29.04.2006 द्वारा जारी सर्कुलर को निरस्त करते हुए यह आदेश पारित किये जाते हैं कि अब मृतक आश्रित के रूप में जिन अभ्यर्थियो को कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर नियुक्ति दी जानी है,उन्हें नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) संशोधन नियमावली,2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्प्यूटर से टाईपिंग परीक्षा 4000 की–डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

(हरिओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.मुख्य अभियन्ता,(अधिष्ठान/नियोजन /गुणवत्ता नियन्त्रण) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून ।
2.समस्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी /देहरादून।
3.वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
4.समस्त अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड ।
5.समस्त अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड ।
6.अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
7.अधिशासी अभियन्ता(आई0टी0) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को उक्त ज्ञाप की प्रति विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ।/।। विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
9 समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून ।

10/3/2021

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष